न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 568–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, सांवेर जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 102/अ–6/12–13.

सुरेशचन्द्र पिता रतनसिंह
निवासी ग्राम राजोदा
तहसील सांवेर जिला इंदौर
हाल मुकाम ग्राम मुण्डला जेतकरन
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मेसर्स रामा फास्फेट्स लिमिटेड
रजिस्टर्ड आफिस 8/2, राहेजा चेम्बर्स
नरीमन पाईंट, मुम्बई एवं कारपोरेट आफिस
100, चेतक सेन्टर आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर
द्वारा अधिकृत गोपाल पिता रामेश्वरदास सिंघल
2– . तहसीलदार, तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

सुश्री प्रिया वर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. गंगवाल, अभिषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 रामा फास्फेट लिमिटेड द्वारा तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा ग्राम राजोदा तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित सर्वे कमांक 381/4 कुल रकबा 0.960 हेक्टेयर आवेदक सुरेशचंद्र से कय की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम

कम कर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 102/अ–6/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निष्पादित विकय पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिलेख पर लिये जाने का अनुरोध किया गया । एक आवेदन पत्र आवेदक द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के पालन में कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–2–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 20–10–2015 को प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में विकय पत्र शून्य घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है । यदि तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की गई तो वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा ।

(2) तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण हो जायेगा, जिससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्थगन प्रदान किया गया है, और पक्षकार भी समान हैं, अतः उक्त आदेश की बाध्यता पर ध्यान नहीं देकर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में जहां घोर अवैधानिकता की गई है, वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर स्थगन प्रदान किया गया है, तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में कोई स्थगन प्रदान नहीं किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, और पंजीकृत विकय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, अतः तहसीलदार पंजीकृत विकय पत्र से कय की गई भूमि पर नामांतरण करने हेतु बाध्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक को पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि कय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आवेदक अनावश्यक रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण नहीं होने देना चाहता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उभय पक्ष पर बंधनकारी है ।

तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 325, 2007 आर.एन. 297, 2006 आर.एन. 330, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 2719, 2011 आर.एन. 193, 1999 (1) जे.एल.जे. 45, ए.आई.आर. 2011 मद्रास 66 (फुलबैंच) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र कमांक 1–अ/13218/6/97–102/4121 दिनांक 12–11–1997 से कय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 102/अ–6/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 द्वारा पूर्व निष्पादित विकय पत्र को अभिलेख पर लिये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–2–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अभिलेख पर लेने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं है । जहां तक तहसीलदार के इस निष्कर्ष का प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय

द्वारा राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही पर स्थगन नहीं दिया गया है, इसलिये उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं है, अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचति है, और उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का अनावेदक कमांक 1 का व्यवहार प्रकिया संहिता के नियम 14 (3) स्वीकार करने संबंधी अंश निरस्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–2015 के आदेश का व्यवहार प्रकिया संहिता के नियम 14 (3) स्वीकार करने संबंधी अंश निरस्त किया जाता है एवं शेष अंश यथावत रखा जाता है । निगरानी अंशतः स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर